निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 559/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. राकेश कुमार पुत्र सरदारमल, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर।
2. कल्याण पुत्र मुरलीधर
3. शान्ति देवी पत्नी कल्याण
4. सीता देवी पत्नी छाजू
5. नानूराम पुत्र रूधनाथ

समस्त जाति जाट, निवासी किशनपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 13/2024 ब–उनवानी कल्याण व अन्य बनाम अर्जुन लाल व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश बागडा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सनातन सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.11.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 13/2024 ब–उनवानी कल्याण व अन्य बनाम अर्जुन लाल व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से अभिभाषक श्री सनातन सोनी ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए बाबत रास्ता चाहने बाबत विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रास्ते के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गइ जो रिपोर्ट गलत तैयार किये जाने पर प्रार्थी द्वारा उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी पेश की गई है जो स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित किया गया कि पक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जावे। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की अवहेलना करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों को सूचित किये पुनः रिपोर्ट तैयार करने के आदेश प्रदान किये गये जिस पर तहसीलदार चौमू ने पुनः पुर्ववर्ती रिपोर्ट में ही हेर फेर कर पेश कर दी, जिस पर

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बिना आपत्ति व सुनवाई का अवसर दिये ही रास्ता प्रदत्त करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा कई निवेदन कर रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने का अवसर चाहा गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थी को आपत्ति का अवसर प्रदत्त नहीं कर पत्रावली को बहस में रख दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 जो कि राजनैतिक पहुंच वाले व धनबल में अधिक है जो अपनी राजनैतिक पहुंच के चलते गांव में यह कहते है कि हम उक्त वाद विवादित भूमि से रास्ता निकलवाकर अपने मन माफिक अनुसार रास्ता प्रदत्त करेगें। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के उक्त तथ्यों से प्रार्थी को आशंका है कि वे अपने राजनैतिक प्रभाव व धनबल के चलते पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर रास्ता निकलवाने पर आमादा है। इससे प्रार्थी को अन्देशा हो गया कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव व प्रलोभन में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी चौमू ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर